खण्ड-7

संख्या-23

156
7/9/12

सत्यमेव जयते

नवम् बिहार विधान-सभा

विधान-सभा (वादवृत्त)

(सप्तम् सत्र)

भाग-02 (कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि-27 जुलाई, 1987 ई०

तिवारी, श्री शिबु सोरेन, श्री सदानन्द सिंह, श्री नलिनी सिंह, श्री राजो सिंह प्रवर समिति के सदस्य हों।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा की सहमति हुई ।

श्री संकटेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें महिला सदस्य को नहीं रखा गया है ।

अध्यक्ष : और समिति बनेगी तो उसमें महिला आ जायेंगी ।

अध्यादेश स्वीकृति संबंधी संकल्प
बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1987

डा0 विजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ; कि बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1987 ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, कौन चीज का प्रस्ताव हो रहा है ?

अध्यक्ष : यह है बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1987 ।

श्री कर्पूरी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सदन में बिल आयेगा तो उसका भी कोई कायदा है । बिल में जैसी प्रक्रिया है कोई संशोधन देगा तो उसको आप पुकारेंगे, वह संशोधन पेश करेगा, सरकार का जवाब होगा, उसके बाद स्वीकृत अस्वीकृत होगा, फिर उसके बाद प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव आयेगा । लेकिन सारी प्रक्रियाओं को बाई-पास करने की बात हो रही है, तो आप पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी कैसे बचेगी ?

श्री रघुनाथ झा अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

यह सभा बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1987 को अस्वीकृत करती है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1987 अस्वीकृत हो ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री रघुनाथ झा : इसमें भी मेरा प्रवर समिति का प्रस्ताव है। खंडों में कई संशोधन भी हैं । आप सारी प्रक्रिया को छोड़कर सीधे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव ला रहे हैं ।

डा0 विजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : 'बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।'

डा0 विजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक 1987 को पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

श्री कर्पूरी ठाकुर : जिस ढंग से बिल पर विचार हो रहा है यह बिहार विधान-सभा के इतिहास में अभूतपूर्व है । इसका साझीदार नहीं हो सकता हूँ, इसका भागीदार नहीं हो सकता हूँ । इसलिये हमलोग सदन का त्याग करते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से वाक् आउट कर गये)

डा0 विजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक,

1987, 21 सदस्यों की प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन 5 अगस्त, 1987 तक दे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1987 21 सदस्यों की प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन 5 अगस्त, 1987 तक दे दे, इस पर सभा की सहमति हो।

सभा की सहमति हुई ।

प्रवर समिति में सुपुर्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा0 विजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

इस प्रवर समिति के निम्नांकित सदस्य हों :

1. श्री राय हरिशंकर शर्मा
2. श्री त्रिभुवन सिंह
3. प्रो० असफाक अंहमद
4. श्री भोला सिंह
5. श्री व्रज मोहन सिंह
6. श्री कुमुद रंजन झा
7. श्री डी० के० शर्मा
8. श्री दिलकेश्वर राम
9. श्री नरेन्द्र सिंह
10. श्री वैरागी उरांव
11. श्रीमती व्यू ा दोजा
12. श्री चंद्रिका प्रसाद राय

13. श्री यमुना राम
14. श्री जय प्रकाश गुप्ता
15. श्री राम दास राय
16. श्री रमेन्द्र कुमार
17. श्री सीता राम सिंह
18. श्री सदानन्द सिंह
19. श्री रघुनाथ शर्मा
20. श्री शिवु सोरेन
21. डा० विजय कुमार सिंह, राज्यमंत्री

डा0 विजय कुमार सिंह (राजमंत्री) : प्रभारी मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

अध्यक्ष : अध्यक्ष को मैं मनोनीत करूंगा ।

प्रश्न यह है कि : 'कि प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. श्री राय हरि शंकर शर्मा
2. डा० त्रिभुवन सिंह
3. प्रो० असफाक अहमद
4. श्री भोला सिंह
5. श्री बृज मोहन सिंह
6. श्री कुमुद रंजन झा
7. श्री डी० के० शर्मा
8. श्री दिलकेश्वर राम
9. श्री नरेन्द्र सिंह
10. श्री बैरागी उरांव

11. श्रीमती ब्यूला दोजा
12. श्री चन्द्रिका प्रसाद राय
13. श्री जमुना राम
14. श्री जय प्रकाश गुप्ता
15. श्री राम दास राय
16. श्री रमेन्द्र कुमार
17. श्री सीताराम
18. श्री सदानन्द सिंह
19. श्री रघुनाथ शर्मा
20. श्री शीबू सोरेन
21. डा० विजय कुमार सिंह (प्रभारी मंत्री)

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यादेश : अस्वीकृति संबंधी संकल्प :

अध्यक्ष : नालंदा खुला विश्वविद्यालय विधेयक, 1987 पर अस्वीकृति का प्रस्ताव मूभ नहीं हुआ क्योंकि सदस्य अनुपस्थित हो गए ।

श्री लोकेश नाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : 'नालंदा खुला विश्वविद्यालय विधेयक 1987 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।'

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'नालंदा खुला विश्वविद्यालय विधेयक 1987 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।